

सरकूलर नं0: अपमा/2018-2020/82

दिनांक : 07-8-2019

"उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के विषय में आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक

आप सभी व्यापारी माईयों को सूचित किया जाता है कि मगलवार दिनांक 6—8—2019 को आयकर विभाग के Joint Commissioner of Income Tax (Range-35) श्री रघुनाथ जी ने ''उपभोक्ता जागरूकता'' कार्यक्रम के विषय पर चर्चा करने हेतु अपने कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें आयकर विभाग के Assistant Commissioner of Income Tax-Circle 35(1) के श्री असीम दलाल जी एवं श्री अंकुर जी के साथ आयकर विभाग के Ward 35(2) के आयकर अधिकारी श्री सतपाल जी एवं Ward 35(5) के आयकर अधिकारी श्री राधव जी ने भाग लिया। बैठक में अपमा की तरफ से प्रधान श्री विष्णु भार्गव जी, पूर्व प्रधान श्री शंकरलाल अग्रवाल जी एवं महासचिव श्री विनय नारंग जी ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए Joint Commissioner of Income Tax (Range-35) श्री रघुनाथ जी ने अपमा पदाधिकारियों से कहा कि आयकर विभाग आपक कश्मीरी गेट क्षेत्र में एक ''उपभाक्ता जागरूकता'' कार्यक्रम का आयोजन करेगा, इस कार्यक्रम के आयोजन की तिथि, वार एवं समय की जानकारी शीघ्र ही दे दी जाऐगी। उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ केन्द्र सरकार एवं दिल्ली सरकार के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। माननीय Joint Commissioner of Income Tax (Range-35) श्री रघुनाथ जी ने आगे बताया कि उपभोक्ता जागरूकता में आये हुए व्यापारियों के आयकर से संबंधित कोई प्रश्न, समस्या या कोई शंका हो तो पूछ सकते है उनके सभी प्रश्नों, समस्या और शंका का समाधान किया जाऐगा। इसके बाद Joint Commissioner of Income Tax (Range-35) श्री रघुनाथ जी ने जानकारी दी कि उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के दिन एक मोबाइल वैन का उद्घाटन किया जाऐगा जोकि पूरे कश्मीरी गेट हर क्षेत्र में जाकर उपभोक्ता जागरूकता के विषय में जानकारी देगी।

साथियों, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की तिथि, वार एवं समय की जानकारी आयकर विभाग से प्राप्त होते ही आप सभी सम्माननीय सदस्यों को सरकूलर के माध्यम से दे दी जाऐगी।

कृ०प०उ०.....2

सरकूलर नं0: अपमा/2018-2020/83

''मार्किट में सफाई बनाये रखनें हेतु व्यापारी भाईयों से सहयोग की अपील''

व्यापारी भाईयों, कुछ दुकानदार लोग जोकि सुबह अपनी दुकानों की सफाई करके कूड़ा बाहर नाली में डाल देते है उनसे अनुरोध किया जाता है कि ऐसा काम ना करें। दुकानों से निकलने वाली थैलियां, कप, रस्सीया, कागज गत्तों के टुकड़े(Packing Material) इत्यादि कूड़े को नाली, पानी एवं दुकान के बाहर ना डाले। कूड़े को बाहर डालने से नालियां जाम हो जाती है और दुकान के आगे कीचड़ हो जाता है। इसलिए कृपया करके कूड़ें को दुकानों के बाहर, नालियों एवं पानी में ना फेंके। दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई थैली मे ही कूड़ा डालें।

साथियों, सफाई की उचित व्यवस्था जल्द ही की जाऐगी। कूड़े की रेहडी का चक्कर दिन में भी लगवाने की दिल्ली निगम के अधिकारियों से हम बराबर सम्पर्क में है। हम सभी का कर्तव्य है कि मार्किट में प्लास्टिक की थैलिया, कप, रस्सीयां और बेकार अखबारों के कागज, गत्तों के दुकड़े(Packing Material) दुकान के बाहर ना फेंकें। कूड़े को थैली में ही डाले तभी मार्किट में सफाई बनायी जा सकती है। तथा बन्द सीवरों से होने वाली समस्याओं से निदान मिल सकेंगा। एक बार पुनः व्यापारी भाईयों से सहयोग की अपील करते हुए कि मार्किट में सफाई बनायें रखें तथा कूडें को थैली ही डाले और थैली को अपनी दुकान में रखें तथा सफाई कर्मचारी आने पर उनको सौपें।

सफाई व्यवस्था की मुहिम की सफलता हेतु अपना सहयोग करें

सरकूलर नं0: अपमा/2018-2020/84

''सावधान'' ''सावधान''

''सावधान''

दिल्ली की कानून व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टि से आपको सूचित कर रहे हैं कि स्थानीय कश्मीरी गेट व मोरी गेट बाजार की सुरक्षा का दायित्व हम सभी पर निर्भर करता है। कुछ असामाजिक तत्व व आतंकवादी संगठन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना बना सकते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपके पड़ौिसयों के लिए जानलेवा हो सकती है। पुलिस विभाग की तरफ से कुछ हिदायतें जारी को गई हैं, जिनका पालन करना सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यापारियों के लिए हितकर होगा।

- यदि कोई व्यक्ति लावारिस सामान रखता है तो उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दी जाये।
- किसी भी तरह के लावारिस पड़े माल को हाथ न लगायें, उसे छुऐं नहीं, उससे दूर रहें
 और इस तरह के सामान को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें।
- आप अपनी दुकान के आगे पेटियां या अन्य सामान न रखें ना किसी को रखने दें, हो सकता है कोई इनमें विस्फोटक पदार्थ छुपा दें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति के सामान की जिम्मेदारी न लें, उसमें बम हो सकता है।
- अपनी दुकान के सामने वाहन खड़ा न करें और न किसी को वाहन खड़ा करने दें।
- आपकी सतर्कता और आपकी सूचना किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है।
- यदि कोई भी वाहन लावारिस दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरन्त पी.सी.आर. वैन अथवा 100 नम्बर पर या टेलीफोन नम्बर 23968730, पर थाना कश्मीरी गेट, से सम्पर्क करें।

(विनय नारंग) महासचिव